मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांकः एफ–21–149/2010/बी–1/दो, भोपाल, दिनांक 29 जुलाई, 2010

प्रति,

1. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी (समस्त)
2. पुलिस अधीक्षक (समस्त)

विषयः राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों के विरूद्ध अपराधिक कार्यवाही।

...

1. हाल ही में शासन के ध्यान में ऐसे कुछ मामले आए हैं जिनमें राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध स्थानीय स्तर पर थानों में प्राथमिकी दर्ज की गई व इसी क्रम में उनकी गिरफ्तारी व अन्य कार्यवाही की गई।

2. राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारियों के संबंध में स्थानीय स्तर पर थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर होने पर निम्नानुसार विधि/शासनादेश के अधीन कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था है :–

(1) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ/19–39/93/एक/चार, दिनांक 21 जनवरी 1994 में दिये गये निर्देश (परिशिष्ट 1)।

(2) न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम,1985 के अधीन प्राप्त संरक्षण (परिशिष्ट 2)।

3. माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश के प्रकरण क्रमांक W.P. 11286/09 एवं W.P. 11338/09 में दिये गये आदेशानुसार शासन द्वारा इस विषय पर उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। समिति के प्रतिवेदन के आधार पर शासन द्वारा राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की गिरफ्तारी के संबंध में निम्नानुसार दिशा निर्देश अनुमोदित किये गये हैं –

(क) यदि कोई राजस्व न्यायालय का पीठासीन अधिकारी न्यायलयीन प्रकरण सम्बन्धित मामले में गिरफ्तार होता है, तो इसकी सूचना तत्काल जिला कलेक्टर या राज्य शासन को देनी होगी।

(ख) इस प्रकार की गिरफ्तारी के तथ्यों से तत्काल जिला कलेक्टर तथा राज्य शासन को अवगत कराया जाएगा।

(ग) ऐसे राजस्व अधिकारी को उसके परिवार जनों, एवं उनके कानूनी सलाहकार से संवाद की सभी सुविधाएँ प्रदाय की जावेंगी।

(घ) ऐसे अधिकारी का कोई कथन लिपिबद्ध नहीं किया जावेगा, न ही पंचनामा तैयार कराया जाएगा, और न ही ऐसे अधिकारी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही उसके विधि सलाहकार के बिना (या ऐसे राजस्व अधिकारी की उपस्थिति के बिना जो उसके समकक्ष या वरिष्ठ हो) की जाएगी।

4. कृपया तदनुसार क्षेत्रीय अधिकारियों को इन प्रावधानों एवं निर्देशों से अवगत करावें तथा इनका अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्न . उपरोक्तानुसार।

(राजन कटोच)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
गृह विभाग

पृ.क्रमांक एफ–21–149/2010/बी–1/दो, भोपाल, दिनांक 29 जुलाई, 2010
प्रतिलिपिः–

1 प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल को उनके पत्र क्र. एफ 6–109/09/सात–4ए दिनांक 3/2/2010 के संबंध में सूचनार्थ।

2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल को उनके परिपत्र क्र एम/19--39/93/1/4 दिनांक 31 जनवरी, 1994 के संदर्भ में सूचनार्थ।

3. पुलिस महानिदेशक, म.प्र., पुलिस मुख्यालय, भोपाल।

4. कमिश्नर, (समस्त) संभाग,

5. ज़ोनल पुलिस महानिरीक्षक (समस्त)।

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
गृह विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ-19-39/93/1/4 भोपाल, दिनांक 31 जनवरी, 1994.

प्रति,

(1) प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
गृह विभाग,
भोपाल ।

(2) सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग,
भोपाल ।

(3) सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
विधि और विधायी कार्य विभाग,
भोपाल ।

(4) महानिदेशक,
लोक अभियोजन मध्यप्रदेश,
भोपाल ।

(5) समस्त संभागीय आयुक्त,
मध्यप्रदेश ।

(6) समस्त जिला कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

(7) समस्त पुलिस अधीक्षक,
मध्यप्रदेश ।

1/ शासन के ध्यान में ऐसे प्रकरण आये हैं, जिनमें देखा गया है कि राजस्व अधिकारियों द्वारा निर्णित प्रकरणों में किसी पक्षकार द्वारा पुलिस थाना में यह प्राथमिकी लिखाये जाने पर कि पीठासीन अधिकारी (राजस्व अधिकारी) ने गलत आदेश दिये हैं, पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर लिये गये हैं ।

2/ शासन यह स्पष्ट करना चाहेगा कि मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, [illegible] की धारा 11 में वर्णित सभी राजस्व अधिकारीगण को [illegible]

विचारण एवं निर्णय के दौरान संहिता की धारा 31 के अंतर्गत उन्हें न्यायालय का दर्जा प्राप्त है । यही नहीं बल्कि राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 20 के अंतर्गत नायब तहसीलदार/तहसीलदार एवं डिप्टी कलेक्टर, कार्यपालिक दंडाधिकारी भी होते हैं जिसके तहत उन्हें न्यायिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं । राजस्व न्यायालय के निर्णय से पीड़ित पक्षकार को संहिता में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप निर्णय के प्रतिकूल अपील या पुनरीक्षण के अधिकार स्पष्टतया प्राप्त हैं । ऐसी स्थिति में यदि पक्षकार द्वारा सीधे पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने पर राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किये गये, या पक्षकार के इस आरोप के साथ, कि राजस्व अधिकारी द्वारा जानबूझकर दुर्भावनावश या षड्यंत्रपूर्वक या प्रलोभन वश उसके विरुद्ध निर्णय पारित किया गया है, प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रथा को प्रश्रय दिया गया तो राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों का न केवल मनोबल गिरेगा, बल्कि प्रकरणों का निराकरण भी कठिन हो जायेगा ।

3/ अतएव निर्देशित किया जाता है कि ऐसी प्राथमिकियों के आधार पर राजस्व/न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध तब तक अपराध प्रकरण पंजीबद्ध न किये जावें जब तक कि राज्य शासन के ऐसे स्पष्ट आदेश न हों ।

4/ शासन के ध्यान में यह भी लाया गया है कि राजस्व निर्णय/आदेश में जहाँ ऐसा पक्षकार जिसके विरुद्ध यह निर्णय/आदेश हुआ है, यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का है, तो उसकी रिपोर्ट पर विशेष अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत हरिजन कल्याण थानों में प्रकरण बिना शासन की पूर्वानुमति के पंजीबद्ध किये जाकर, बिना अभियोजन स्वीकृति के ही न्यायालयों में प्रस्तुत कर दिये जाते हैं । यद्यपि शासन की मंशा विशेष अधिनियम के प्रावधानों को बाधित करने की नहीं है, तथापि राजस्व/न्यायिक अधिकारियों द्वारा निर्णित ऐसे प्रकरणों में परिपत्र की

निरंतर-3/-

कंडिका 3 के अनुसार यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये । राजस्व/न्यायिक अधिकारियों के द्वारा पारित न्यायालयीन निर्णय/आदेशों के संदर्भ में प्राप्त प्राथमिकियों पर परिपत्र के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ।

अ. कोचर 31.1.94

(अरूण कोचर)

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

गौतम//

Fazal

THE JUDGES (PROTECTION) ACT, 1985

(59 OF 1985)

An Act for securing additional protection for Judges and others acting judicially any for matters connected therewith.

Be it enacted by Parliament in the Thirty-sixth Year of the Republic of India as follows -

Section **Contents**

1 Short title and extent.
2 Definition.
3 Additional protection to Judges.
4 Saving.

Short title and extent **1** (1) This Act may be called The Judges (Protection) Act, 1985

(2) It extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir

Definition **2** In this Act, "Judge" means not only every person who is officially designated as a Judge, but also every person -

(a) Who is empowered by law to give in any legal proceeding a definitive judgment or a judgment which, if not appealed against, would be definitive, or a judgment which, if confirmed by some other authority, would be definitive, or

(b) who is one of a body of persons which body of persons is empowered by law to tive such a judgment as is referred to in Cl (a)

Additional protection to Judges **3** (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force and subject to the provisions of sub-sec.(2), no Court shall entertain or continue any civil or criminal proceeding against any person who is or was a Judge for any act, thing or word committed, done or spoken by him when, or in the course of, acting or puporting to act in the discharge of his official or judicial duty or function.

(2) Nothing in sub-sec.(1) shall debar or affect in any manner the power of the Central Government or the State Government or the Supreme Court of India or any High Court or any other authority under any law for the time being in force to take such action (whether by way of civil, criminal, or departmental proceedings or otherwise) against any person who is or was a Judge.

Saving **4** The Provision of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, the provisions of any other law for the time being in force providing for protection of Judges.

* * * * *